संख्या–06 / सा0सु0बं0म0(जिला निगरानी)–306 / 2010– 221

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा)

233

प्रेषक,

विष्णु कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
(खूंटी, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका, रामगढ़, गोड्डा एवं गुमला को छोड़कर)

राँची, दिनांक- 20 /April/ 2012

विषयः– बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–13 के आलोक में जिला स्तरीय निगरानी समिति के गठन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–357 दिनांक–07.08.2010, 387 दिनांक 25.8.2010, 476 दिनांक–05.10.2010 तथा 279 दिनांक–27.06.2011.

महाषय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगीक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध के साथ कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–211 दिनांक–16.06.2008 द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–13 के आलोक में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन–2008 में किया गया है। (नये सृजित जिलों रामगढ़ एवं खूंटी को छोड़कर) को ज्ञातव्य है कि गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति का दो वर्षों में पुर्नगठन किया जाना है। नव सृजित जिले रामगढ़ महानिदेशक (श्रमिक कल्याण) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–एस–11011 / 1 / 2006 बी0एल0 दिनांक–29.05.2006 में उल्लिखित कंडिकाओं के आलोक में जिला स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रस्ताव यथा शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भेजना है। साथ ही पूर्व में गठित की गई जिला स्तरीय निगरानी समितियों के सदस्यों के नामों में यदि किसी बदलाव की आवश्यकता हैं तो पुनः नये सिरे से जिला निगरानी समिति के गठन का प्रस्ताव भेजें। यदि दिनांक–26. 04.2012 तक आपके जिले से निगरानी समिति के गठन हेतु सदस्यों में बदलाव की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि पूर्व में गठित समिति के सदस्य ही आपको मान्य हैं तथा सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा पूर्व में गठित समिति के सदस्यों को ही सही मानते हुए नये सिरे से जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। गठन संबंधी प्रतिवेदन की प्रति दिनांक–27.04.2012 को आहूत विभागीय बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला स्तरीय निगरानी समिति में निम्न सदस्य होंगेः–

1. उपायुक्त अथवा उपायुक्त द्वारा मनोनीत व्यक्ति– अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 3 व्यक्ति जो जिले में रहते हों एवं जिनका मनोनयन उपायुक्त द्वारा किया गया हो।
3. जिले में रहने वाले दो (2) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनका मनोनयन उपायुक्त द्वारा किया गया हो।
4. अधिकतम तीन (3) व्यक्ति को, जो सरकारी / गैर सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि हों और जिले के ग्रामीण विकास से संबंधित हों, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
5. एक व्यक्ति को, जो जिले के आर्थिक और साख संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हों, उपायुक्त द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि बंधुआ मजदूर पुनर्वास एक सम्वेदनशील विषय है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर लोकहित याचिका संख्या–3922 / 1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में नियमित प्रतिवेदन भेजा जाता है तथा अन्य बिन्दुओं पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाते हैं।

अतः विषय की गंभीरता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर कमांक–1,2,3 एवं 5 के पदाधिकारियों को मनोनीत करते हुए उनके नाम तथा क्रमांक–4 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिला निगरानी समिति में सदस्यों के मनोनयन हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे जिला निगरानी समिति का गठन शीघ्र किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(विष्णु कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–06 / सा0सु0बं0म0(जिला निगरानी)–306 / 2010– 221 राँची, दिनांक– 20.4.2012

प्रतिलिपि :–सभी सहायक निदेशक / प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

P.T.O